SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998

IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Complaint or report madeon

Name and address of the Complainant.

Name, parentage, caste and address of accused

SIUT SIO PONOSIL, PARANTEUN

TOTE - REPORT SIMOISE

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission 12/11/19

आप पर आरोप है कि दिनांक 12/11/19 मुकाम

आप पर आरोप है कि दिनांक 12/11/19 मुकाम

आधिपत्य में १२००१ (लीटर/पाव/बोतल ११०००० विकय/परिवहन हेतु रखी।

अधिपत्य में १२००१ (लीटर/पाव/बोतल ११०००० विकय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय

अपराध कारित किया।

वया आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड रो दण्डित करने का निवेदने हैं।

RIGHT

//निर्णय// (आज दिनांक 27/12/14 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आवकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध का अभियोग है। संक्षिण विद्यारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर
सुनाय एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त
सुनाय एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकारोक्त के
02. संक्षिण विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के
02. आधार पर आवकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता
है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिक्षेत्र कोई तथ्य मौजूद नेही हैं।
03. अभियुक्त को आवकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) को तहत न्यायाल उठने
तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये कि विचार जाने पर कि साधारण

कारावास की सजा भुगताया, जाव।

जप्तशुदा सम्पत्ति 22 वासी किर्य पाव बोतल 22 कासी हिंदा शराब जप्तशुदा सम्पत्ति 25 वासी किर्याहिन एवं मानव उपयोग हेतु हासिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार का कारण अपील अविध पश्चात् कि आदेश का

-100 Tail)